फर्द अहकाम

उ.ख.अ. II सांगानेर

जगदीश व अन्य बनाम प. नारायण व अन्य

संख्या / वर्ष 95/2015 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सुनाया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 95/2015

निर्णय दिनांक : 06.02.2025

उनवान

जगदीश पुत्र मंगला

कन्हैयालाल पुत्र मंगला

प्रभू पुत्र मंगला

लालाराम पुत्र मंगला

रमेश पुत्र मंगला

मदन पुत्र मंगला

मांगीलाल पुत्र मंगला

लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश

समस्त जाति बागडा ब्राम्हण निवासीयान ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

पन्नालाल पु.मु. चून्या

रामकरण पुत्र मोतीलाल

रामेश्वर पुत्र मोतीलाल

श्रवण पुत्र मोतीलाल

समस्त जाति बागडा ब्राम्हण निवासीयान ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण की आराजी कृषि भूमि खाता सख्या 88 के हाल खसरा न० 749 रकबा 0.44 है०, खसरा न0 753 रकबा 0.24 है0, खसरा न0 756 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 757 रकबा 0.22 है0, खसरा न० 758 रकबा 0.21 है०, खसरा न० 759 रकबा 0.03 है0, खसरा न० 760 रकबा 0.03 है०, खसरा न० 762 रकबा 0.13 है०, खसरा न0 769 रकबा 0.06 है०, खसरा न० 899 रकबा 0.17 है०, खसरा न0 761 रकबा 0.03 है0, खसरा न० 768 रकबा 0.51 है0, खसरा न० 772 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 901 रकबा 0.19 है०, खसरा न0 903 रकबा 0.21 है०, खसरा न0 904 रकबा 0.06 है०, खसरा न0 907 रकबा 0.21 है०, खसरा न० 908 रकबा 0.39 है०, खसरा न0 911 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ारा न0 916 रकबा 0.21 है0, खसरा न0 917 रकबा 0.22 है०, खसरा न0 920 रकबा 0.28
) 921 रकबा 0.35 है0, खसरा न0 927 रकबा 0.34 है० कुल किता 24 कुल रकबा 5.69 है०
ालपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसके वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है।
ैरा न० एक मे वर्णित आराजीयात के पास ही प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार की कृषि
। इस कारण प्रतिवादीगण व वादीगण की भूमि की सीमाये आपस मे मिलती है। तथा
ाये दिन वादीगण की भूमि की सीमाये तोडकर उस पर कब्जा करना चाहते है। वादीगण ने
सीमा तोडकर उस पर निर्माण कार्य कर पुख्ता बाउण्डरीवॉल का निर्माण करना चाहते है।
गण वादीगण की भूमि के पास में ही पुख्ता मकान का निर्माण करवाना चाहते है। वादीगण
ा सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रतिवादी सख्या पांच के यहा पर प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा
ो कारण से वादीगण की भूमि का सीमाज्ञान नही हो सका। वादीगण ने अपनी भूमि का पी.
से सीमाज्ञान करवा रखा है जिसमे प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर कब्जा कर निर्माण
है। दिनांक 24/6/2015 को वादीगण की कृषि भूमि खसरा न० 908 व 911 पर प्रतिवादी
गायत चार ने मेड तोडकर कब्जा करने की नियत से 7-8 फुट भूमि दबाकर निर्माण सामग्री
था बाउण्डरीवॉल का निमार्ण करने पर उतारू हो गये। इस कारण वादीगण ने जब प्रतिवादी
ागायत चार को मना किया तो प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार व उसके साथ आये लोग
ा गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू हो गये। तब वादीगण ने प्रतिवादी सख्या एक
के विरूद्व पुलिस थाना शिवदासपुरा मे रिपोर्ट दी परन्तु फिर भी प्रतिवादी सख्या एक लगायत
ाजायज इरादो से बाज नही आ रहे है तथा येन केन प्रकरेण वादीगण की भूमि पर कब्जा कर
ा चाहते है इस कारण वादीगण को वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ।
ोब व्यक्ति है जबकि प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार काफी धनाड्य व्यक्ति है। अगर
अपने धन बल व भूज बल के आधार पर वादीगण की भूमि पर कब्जा करने पर सफल हो
वादीगण को अपने हक हकुको की भूमि से महरूम होना पडेगा तथा दर दर की ठोकरे खाने
ाबूर होना पडेगा। वादीगण प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से
ाने का अधिकार है कि वादीगण की पैरा न० एक मे वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान नही हो
क प्रतिवादीगण किसी प्रकार से निमार्ण कार्य नही करे, न ही वादीगण की भूमि की मेड तोडकर
: से कब्जा करे, न ही कोई बाउण्डरीवॉल या अन्य प्रकार से निर्माण कार्य कर वादीगण की
ब्जा करे। तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की की बाधा उत्पन्न ना
कारण दिनांक 24/6/15 को जब शुरू हुआ जब प्रतिवादी सख्या एक लगायत चार ने वादीगण
ारजीयात की मेड तोडकर कब्जा करने की नियत से निमार्ण सामग्री डालकर निर्माण कार्य करना
रू होकर निरन्तर जारी है।

ात: वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार है डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी सख्या
ात चार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की भूमि खसरा न० 749
4 है०, खसरा न0 753 रकबा 0.24 है०, खसरा न० 756 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 757 रकबा
खसरा न0 758 रकबा 0.21 है0, खसरा न० 759 रकबा 0.03 है०, खसरा न0 760 रकबा 0.03

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

है० खसरा न० 761 रकबा 0.03 है०, खसरा न० 762 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 768 रकबा 0.51 है०, खसरा नं० 772 रकबा 0.44 है०, खसरा न० 901 रकबा 0.19 है०, खसरा नं० 904 रकबा 0.06 है०, खसरा ० 908 रकबा 0.39 है०, खसरा न० 916 रकबा 0.21 है०, खसरा न० 769 रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 99 रकबा 0.17 है0, खसरा नं० 903 रकबा 0.21 है0, खसरा न० 907 खसरा न० 911 खसरा न० 917 सरा न० 920 रकबा 0.28 है०, खसरा न० 921 रकबा 0.21 है0, रकबा 0.48 है०, रकबा 0.22 है0, रकबा 35 है० खसरा न० 927 रकबा 0.34 है० कुल किता 24 कुल रकबा 5.69 है0 वाके ग्राम दयालपुरा तहसील गानेर जिला जयपुर का जब तक सीमाज्ञान नही हो जाता है तब तक प्रतिवादीगण किसी प्रकार से र्माण कार्य नही करे, न ही वादीगण की भूमि की मेड तोडकर किसी प्रकार से कब्जा करे, न ही कोई उण्डरीवॉल या अन्य प्रकार से निर्माण कार्य कर वादीगण की भूमि पर कब्जा करे। तथा वादीगण के न्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की की बाधा उत्पन्न ना करे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध 09.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता की सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों दोहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द फरमाया जावे कि वादीगण की भूमि खसरा नं० 749 रकबा 0. 44 है०, खसरा न0 753 रकबा 0.24 खसरा नं० 756 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 757 रकबा 0.22 है०, खसरा न0 758 रकबा 0.21 है0, ा नं० 759 रकबा 0.03 है०, खसरा न0 760 रकबा 0.03 है०, खसरा न0 761 रकबा 0.03 है०, खसरा 62 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 768 रकबा 0.51 है०, खसरा नं० 772 रकबा 0.44 है०, खसरा न0 रकबा 0.19 है०, खसरा नं० 904 रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 908 रकबा 0.39 है०, खसरा न0 916 0.21 है०, खसरा न0 769 रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 899 रकबा 0.17 है0, खसरा नं० 903 रकबा है0, खसरा न0 907 खसरा न0 911 खसरा न0 917 खसरा न0 920 रकबा 0.28 है०, खसरा न0 कबा 0.21 है0, रकबा 0.48 है०, रकबा 0.22 है0, रकबा 0.35 है०, खसरा न0 927 रकबा 0.34 है० केता 24 कुल रकबा 5.69 है0 वाके ग्राम दयालपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का जब तक न नही हो जाता है तब तक प्रतिवादीगण किसी प्रकार से निमार्ण कार्य नही करे, न ही वादीगण ी की मेड तोडकर किसी प्रकार से कब्जा करे, न ही कोई बाउण्डरीवॉल या अन्य प्रकार से निर्माण र वादीगण की भूमि पर कब्जा करे। तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की ा उत्पन्न ना करे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की बहस पर रने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाके ग्राम दयालपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 88 के हाल खसरा नं० 749 रकबा ०, खसरा न0 753 रकबा 0.24 है0, खसरा न0 756 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 757 रकबा 0.22 रा नं० 758 रकबा 0.21 है०, खसरा नं० 759 रकबा 0.03 है0, खसरा नं० 760 रकबा 0.03 है०, नं० 762 रकबा 0.13 है०, खसरा न0 769 रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 899 रकबा 0.17 है०, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रकबा 0.03 है0, खसरा न० 768 रकबा 0.51 है0, खसरा न० 772 रकबा 0.44 है0, खसरा न0
बा 0.19 है०, खसरा न0 903 रकबा 0.21 है०, खसरा न0 904 रकबा 0.06 है०, खसरा न0 907
21 है0, खसरा न० 908 रकबा 0.39 है०, खसरा न0 911 रकबा 0.48 है०, खसरा न0 916 रकबा
खसरा न0 917 रकबा 0.22 है०, खसरा न0 920 रकबा 0.28 है0, खसरा न0 921 रकबा 0.35
रा न0 927 रकबा 0.34 है० कुल किता 24 कुल रकबा 5.69 है० के वादीगण राजस्व रिकार्ड में
खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात के पास ही प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार की
स्थित है। इस कारण प्रतिवादीगण व वादीगण की भूमि की सीमाये आपस में मिलती है। तथा
ण आये दिन वादीगण की भूमि की सीमाये तोडकर उस पर कब्जा करना चाहते है। वादीगण
करवाने हेतु तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किया था परन्तु सीमाज्ञान
सका। वादीगण ने अपनी भूमि पर पी.डी.एम. मशीन से सीमाज्ञान करवा रखा है वादीगण की भूमि
ादीगण को वादी की वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी पक्षकार की दखलन्दाजी करने का कोई हक व
नही है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना उचित समझते है ।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 88 के हाल खसरा न०
ा 0.44 है०, खसरा न0 753 रकबा 0.24 है0, खसरा न0 756 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 757
2 है0, खसरा न० 758 रकबा 0.21 है०, खसरा न० 759 रकबा 0.03 है0, खसरा न० 760 रकबा
खसरा न0 761 रकबा 0.03 है0, खसरा न० 762 रकबा 0.13 है०, , खसरा न० 768 रकबा 0.51
रा न0 769 रकबा 0.06 है०, खसरा न० 772 रकबा 0.44 है0, खसरा न० 899 रकबा 0.17 है०
) 901 रकबा 0.19 है०, खसरा न0 903 रकबा 0.21 है०, खसरा न0 904 रकबा 0.06 है०, खसरा
रकबा 0.21 है०, खसरा न० 908 रकबा 0.39 है०, खसरा न0 911 रकबा 0.48 है०, खसरा न0
ा 0.21 है0, खसरा न0 917 रकबा 0.22 है०, खसरा न0 920 रकबा 0.28 है0, खसरा न0 921
5 है०, खसरा न0 927 रकबा 0.34 है० कुल किता 24 कुल रकबा 5.69 है० में प्रतिवादीगण को
ायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में जब तक सीमाज्ञान नही हो
तक किसी प्रकार से निमार्ण कार्य नही करे, न ही वादीगण की भूमि की मेड तोडकर किसी
कब्जा करे, न ही कोई बाउण्डरीवॉल या अन्य प्रकार से निर्माण कार्य कर वादीगण की भूमि पर
। तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की की बाधा उत्पन्न ना करे। निर्णय
क डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)